336

संख्या–313/XXXVI(1)/2013–235/2013

प्रेषक,

जयदेव सिंह,
प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 23 दिसम्बर 2013

विषय– महाधिवक्ता कार्यालय, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में 10 पद चतुर्थ श्रेणी, आउटसोसिंग से रखे जाने की स्वीकृति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–44/अति0पद/महा0स्था0/2013 दिनांक 17–07–2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महाधिवक्ता कार्यालय, नैनीताल में चतुर्थ श्रेणी के 10 पद आउटसोसिंग के आधार पर सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते है। इन पदों पर शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों तथा समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–323/XVII-3/13-09(17)/2004 दिनांक 12–06–2013 में उल्लिखित दरें एवं शर्ते लागू होगी।

2– उक्त पद धारक को शासनादेश दिनांक 12–06–2013 द्वारा प्रदत्त सुविधायें अनुमन्य होगी।

3– उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप नियुक्ति होने के उपरान्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या 04 के लेखाशीर्षक "2014 न्याय प्रशासन–00–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)–03–महाधिवक्ता–00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नाम डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0–170NP/XXVII(7)/2013 दिनांक 18.12.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(जयदेव सिंह)
प्रमुख सचिव

क्रमश.....2

संख्या– 313 / XXXVI(1)/2013–235/2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय भवन, माजरा देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
3– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4– एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सयन सिंह)
अपर सचिव